

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्र.प. 3/III-A/निर्वा/सामा-/2020-21/ 5037

जयपुर, दिनांक : 06.10.2021

प्रेषक :- मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति :- जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) प्रतापगढ़ एवं उदयपुर।

विषय :- विधानसभा उप चुनाव 2021 के दौरान AC बिल द्वारा नगद आहरण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

सहोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विधानसभा उप चुनाव 2021 के दौरान तत्काल होने वाले व्यय यथा पेट्रोल/डीजल आउटराईट पेमेन्ट, यात्रा व्यय के एकमुश्त भुगतान एवं अन्य समस्त आकस्मिक व्ययों के भुगतान हेतु सा.वि. एवं लेखा नियम भाग-1 के नियम 219 के अनुलग्नक 'क' की क्र.सं 10 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत सहपठित नियम 74 A में शिथिलता देते हुए ए.सी. बिल द्वारा नगद आहरण करने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। ए.सी बिल द्वारा आहरित राशि का समायोजन डी.सी बिल द्वारा सा.वि. एवं लेखा नियम के तहत नियमानुसार समय पर किया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी सं. 102104825 दिनांक 04.10.2021 द्वारा प्रदान की गई है।

भवदीय,

(कृष्ण कुणाल)

अति. मुख्य निर्वाचन अधिकारी
निर्वाचन विभाग

क्र.प. 3/III-A/निर्वा/सामा/2020-21

जयपुर, दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।
4. विशेषाधिकारी, मुख्यालय।
5. संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

वित्तीय सलाहकार
निर्वाचन विभाग
राजस्थान जयपुर।